

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 171
TO BE ANSWERED ON THE 2ND AUGUST, 2022**

**BENEFICIARIES UNDER AYUSHMAN BHARAT-PRADHAN MANTRI JAN
AROGYA YOJANA**

171 DR. SONAL MANSINGH:

Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state:

- (a) the eligibility and criteria prescribed to take advantage of Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana;
- (b) the amount decided by Government to take medical benefits under this scheme; and
- (c) the number of people who have benefited under this scheme in the last two years and the details thereof?

**ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR MANSUKH MANDAVIYA)**

- (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 171* FOR 2ND AUGUST, 2022**

(a) to (c) Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) launched on 23.09.2018 provides health coverage up to Rs. 5 lakh per annum per beneficiary family on family floater basis to approximately 10.74 crore poor and vulnerable families covering bottom 40% population of the country; identified on the basis of select deprivation and occupational criteria in rural and urban areas respectively as per SECC database of 2011. Details of eligibility criteria under the scheme are at Annexure. During last two years, 2.26 crore people have benefited under the scheme.

Detailed list of criteria for eligibility under AB-PMJAY as per SECC 2011:

Automatically included:

1. Households without shelter
2. Destitute/ living on alms
3. Manual scavenger families
4. Primitive tribal groups
5. Legally released bonded labour

Deprivation criteria in rural area:

- D1: Only one room with kutcha walls and kutcha roof
- D2: No adult member between age 16 to 59
- D3: Female headed households with no adult male member between age 16 to 59
- D4: Disabled member and no able-bodied adult member
- D5: SC/ST households
- D7: Landless households deriving major part of their income from manual casual labour

Occupational criteria in urban area:

- 1) Rag picker
- 2) Beggar
- 3) Domestic worker
- 4) Street vendor/ Cobbler/hawker / Other service provider working on streets
- 5) Construction worker/ Plumber/ Mason/ Labour/ Painter/ Welder/ Security guard/ Coolie and other head-load worker
- 6) Sweeper/ Sanitation worker / Mali
- 7) Home-based worker/ Artisan/ Handicrafts worker / Tailor
- 8) Transport worker/ Driver/ Conductor/ Helper to drivers and conductors/ Cart puller/ Rickshaw puller
- 9) Shop worker/ Assistant/ Peon in small establishment/ Helper/ Delivery assistant / Attendant/ Waiter
- 10) Electrician/ Mechanic/ Assembler/ Repair worker/Washer-man/ Chowkidar

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 171
02 अगस्त, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाभार्थी

171. डा. सोनल मानसिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए विहित पात्रता और मानदंड क्या है;
- (ख) इस योजना के अधीन चिकित्सा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा तय की गई धनराशि कितनी है; और
- (ग) पिछले दो वर्षों में इस योजना के अधीन लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

02 अगस्त, 2022 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 171 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) 23.09.2018 को शुरू की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत, जनगणना 2011 के एसईसीसी डेटाबेस के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः अपवंचन और व्यवसाय के चुनिंदा मानदंडों के आधार पर देश की निचली 40% आबादी के पहचान किए गए लगभग 10.74 करोड़ निर्धन और कमजोर परिवारों को प्रचलित परिवार (फैमिली फ्लोटर) के आधार पर प्रति लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रु. तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के पात्रता मानदंडों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान, इस स्कीम के तहत 2.26 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं।

एसईसीसी 2011 के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के पात्रता मानदंडों की विस्तृत सूची:

स्वतः शामिल:

1. बिना आश्रय के परिवार
2. निराश्रित/ भीख पर जीवन यापन करने वाले
3. सर पर मैला ढोने वाले परिवार
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी तौर पर छुड़ाए गए बंधुआ मजदूर

ग्रामीण क्षेत्र में अपवंचन संबंधी मानदंड:

- डी1: कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाला केवल एक कमरा
- डी2: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं
- डी3: ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो और 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो
- डी4: विकलांग सदस्य और कोई भी सक्षम शरीर वाला वयस्क सदस्य न हो
- डी5: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवार
- डी7: भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा भाग हाथ की दिहाड़ी मजदूरी से अर्जित करता है

शहरी क्षेत्र में व्यवसाय संबंधी मानदंड:

- 1) कूड़ा बीनने वाले
- 2) भिखारी
- 3) घरेलू नौकर
- 4) गलियों में सामान बेचने वाला/ मोची/ फेरी वाला/ गलियों में काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता
- 5) निर्माण कार्य में लगे मजदूर/ प्लंबर/ राजमिस्त्री/ मजदूर/ पेंटर/ वेल्डर/ सुरक्षा गार्ड/ कुली और सिर पर भार ढोने वाले अन्य मजदूर
- 6) स्वीपर/ साफ-सफाई कर्मी/ माली
- 7) घर में रहने वाला नौकर/ दस्तकार/ हथकरघा कामगार/ दर्जी
- 8) परिवहन कामगार/ ड्राइवर/ कंडक्टर/ ड्राइवरों और कंडक्टरों का हेल्पर/ ठेला खींचने वाला/ रिक्शा चालक
- 9) दुकान में काम करने वाला/ सहायक/ छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी/ हेल्पर/ डिलीवरी सहायक/ एटेंडेंट/ वेटर
- 10) इलैक्ट्रिशियन/ मैकेनिक/ एसेंबलर/ रिपेयर कर्मी/ वाशर-मैन/ चौकीदार

DR. SONAL MANSINGH: Sir, my question to the Minister is: Isn't wider distribution and outreach of Ayushman Cards targeted especially for the 75th year of Independence?

डा. भारती प्रवीण पवार : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो कार्ड्स रिलेटिड, आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में सवाल माननीय महोदय ने पूछा है, मैं बहुत गौरवान्वित होकर इस सदन को कहना चाहूंगी कि 'आयुष्मान भारत योजना' सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, अपितु दुनिया की सबसे लार्जस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। माननीय सदस्या ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि इसके कार्ड का वितरण हो। मैं सभी सदस्यों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज तक लगभग 18 करोड़ कार्ड्स वितरित हुए हैं और अब ज्यादा कार्ड्स हमें वितरित करने हैं, इसके लिए हमें बहुत काम करना होगा। गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि कोरोना के समय 'हर घर दस्तक' जैसा अभियान चला। उसी तरह कार्ड वितरण के लिए भी आपके द्वारा 'आयुष्मान भारत योजना' चल रही है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Question Hour is over. The House stands adjourned till 2.00 p.m.